समाहरणालय, गोड्डा
(जिला भू–अर्जन शाखा)
E-Mail- goddadlao@gmail.com

–: आदेश :–

The Right to fair compenensation and transparency in Land Acquisition. Rehabilitation and Resettlement act, 2013 की धारा– 04 अंतर्गत 220/132/33 KV ग्रीड विद्युत सबस्टेशन निर्माण हेतु अंचल– पथरगामा, ग्राम– श्रीपुर में अधिगृहित कुल रकवा– 16.78 एकड़ के लिए सामाजिक प्रभाव के मूल्यांकन का कार्य नवदृष्टि, फ्लेट नं0– 2/C, रामेश्वरम अपार्टमेंट, फेज–3, अशोक कुन्ज, अरगोडा, राँची के द्वारा करने के उपरांत प्रतिवेदन समर्पित किया गया है।

सामाजिक प्रभाव मूल्यांकन प्रतिवेदन समर्पित होने के उपरांत The Right to fair compenensation and transparency in Land Acquisition, Rehabilitation and Resettlement act, 2013 की धारा– 07 के आलोक में सामाजिक वैज्ञानिक (Social Scientist), पुनर्वास विशेषज्ञ (Expert on Rehabilitation), ग्राम पंचायत प्रतिनिधि तथा परियोजना विशेषज्ञ सहित विशेषज्ञ समूह (Expert Group) की गठन का प्रावधान है।

भू–अर्जन अधिनियम 2013 के धारा– 07 के आलोक में विभागों एवं संस्थाओं से सामाजिक वैज्ञानिक (Social Scientist) एवं पुर्नवास विशेषज्ञ (Expert on Rehabilitation) एवं ग्राम पंचायत प्रतिनिधि तथा परियोजना विशेषज्ञ के रूप में प्राप्त सूची से 220/132/33 KV ग्रीड विद्युत सबस्टेशन निर्माण हेतु प्राप्त सामाजिक प्रभाव मूल्यांकन प्रतिवेदन के मूल्यांकन हेतु विशेषज्ञ समूह (Expert Group) के सदस्य के रूप में एक समिति गठित की जाती है।

विशेषज्ञ समूह (Expert Group) निम्नप्रकार है :–

i पंचायत प्रतिनिधि –
1. श्रीमति वीणा देवी, मुखिया–सह–पंचायत प्रतिनिधि, माल निस्तारा पंचायत – अध्यक्ष
2. श्रीमति पुनम देवी, पंचायत समिति सदस्य, पंचायत प्रतिनिधि, मालनिस्तारा पंचायत– सदस्य

ii सामाजिक वैज्ञानिक –
3. डा0 सुजीत कुमार सोरेन, सहायक प्राध्यापक, समाजशास्त्र विभाग, संथाल परगना महाविद्यालय दुमका – सदस्य
4. डा0 संजीव कुमार सिन्हा, एसोसियेट प्रोफेसर, सिदो कान्हु मुर्मू विश्वविद्यालय दुमका –सदस्य

iii पुनर्वास विशेषज्ञ –
5. डा0 तारणी प्रसाद सिंह, विभागाध्यक्ष, स्नातकोत्तर राजनीति विज्ञान विभाग, सिदो कान्हु मुर्मू विश्वविद्यालय दुमका– सदस्य
6. डा0 अजय कुमार सिन्हा, सहायक प्राध्यापक, स्नातकोत्तर राजनीति विज्ञान विभाग, सिदो कान्हु मुर्मू विश्वविद्यालय दुमका– सदस्य

iv तकनीकी विशेषज्ञ –
7. श्री अश्विन एक्का, विद्युत कार्यपालक अभियंता, संचरण प्रमंडल, ललमटिया– सदस्य

विशेषज्ञ समूह के द्वारा दो महीने के अंदर सामाजिक प्रभाव मूल्यांकन प्रतिवेदन की समीक्षा कर निम्नलिखित बिन्दुओं पर अपना प्रतिवेदन The Right to fair compenensation and transparency in Land Acquisition. Rehabilitation and Resettlement act, 2013 के आलोक में मंतव्य सहित समर्पित किया जाएगा।

1. परियोजना लोक प्रयोजन के उद्देश्य को पूरा करती है अथवा नही के संबंध में।
2. सामाजिक मूल्य एवं सामाजिक प्रभाव के कुप्रभाव अथवा लाभ के संबंध में।
3. अन्य प्रतिवेदन/मंतव्य जो विशेषज्ञ समूह (Expert Group) आवश्यक समझती है।

विशेषज्ञ समूह दिनांक– 14/12/17 से 15/12/17 तक पूर्वाहन 11:00 बजे से 04:00 बजे अपराहन जिला भू–अर्जन पदाधिकारी, गोड्डा के कार्यालय प्रकोष्ट में विशेषज्ञ समूह के अध्यक्ष की अध्यक्षता में इस संबंध में समीक्षा करेगी एवं आवश्यकतानुसार संबंधित अंचल में भ्रमण करेगी।

उपायुक्त, 9/12
गोड्डा।

ज्ञापांक : 1334 /भू0 गोड्डा दिनांक : 09/12/2017

प्रतिलिपि :– कार्यकारी निदेशक, नवदृष्टि, फ्लेट नं0– 2/C, रामेश्वरम अपार्टमेंट, फेज–3, अशोक कुन्ज, अरगोड़ा, राँची को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि :– विशेषज्ञ समूह के सभी अध्यक्ष/सदस्य को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि :– प्रशासक–सह–अपर समाहर्त्ता, गोड्डा/अनुमंडल पदाधिकारी, गोड्डा/जिला भू–अर्जन पदाधिकारी, गोड्डा को सूचनार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि :– जिला सूचना एवं विज्ञान पदाधिकारी, गोड्डा को सूचनार्थ प्रेषित। निदेश दिया जाता है कि आदेश की प्रति को गोड्डा जिले के वेवसाइट पर प्रकाशित करना सुनिश्चित करेंगे।

प्रतिलिपि :– अंचल अधिकारी, पथरगामा को सूचनार्थ प्रेषित। निदेश है कि विशेषज्ञ समूह को आवश्यक सहयोग प्रदान करना सुनिश्चित करेंगे।

प्रतिलिपि :– विद्युत अधीक्षण अभियंता, संचरण निगम लिमिटेड, दुमका को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

उपायुक्त,
गोड्डा।